नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना के ज्ञापांक 3154 दिनांक 13.12.2018 के आलोक में श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना द्वारा दिनांक 15.12.2018 को नगर परिषद, सुपौल में चल रहे योजनाओं की समीक्षा प्रतिवेदन निम्नवत है :–

(1) सबके लिए आवास :–

वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभाग द्वारा 155 लाभुकों की स्वीकृति प्राप्त हुई। कुल 155 लाभुकों का MIS Entry कर आधार से जोड़ा गया। सभी लाभुकों का अभिलेख तैयार कर खाता खोला गया। लाभुकों का घर बनाने हेतु जमीन सत्यापन में 44 लाभार्थी को असत्य पाया गया। अवशेष 111 का जमीन सत्यापन सही पाया गया। 111 लाभुकों को नगर परिषद, सुपौल द्वारा कार्यादेश दिया गया। 111 लाभुकों द्वारा नींव की खुदाई कार्य किया गया। इसे Geo tagged से जोड़ा गया। Geo tagged करने के बाद आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भुगतान हेतु नगर परिषद कार्यालय द्वारा दिनांक 22.11.2016 को 55+45 कुल 100 लाभुकों को प्रथम किश्त की दर से कुल 50,00,000.00 (पचास लाख) रूपये लाभुकों के खाता में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भुगतान किया गया।

पुनः दस लाभुकों के लिए दिनांक 03.02.2017 को प्रति लाभुक 50000.00 की दर से मो. 500000.00 (पाँच लाख) रूपये बैंक ऑफ बड़ौदा, सुपौल को आर.टी.जी.एस. के माध्यम से लाभुकों के खाता में हस्तानान्तरण किया गया।

दिनांक 29.07.2017 को अवशेष एक लाभुक को मो0 50000.00 (पचास हजार) रूपये आर.टी.जी.एस. द्वारा राशि हस्तानान्तरित किया गया।

इस प्रकार कुल 111 लाभार्थी को प्रथम किश्त के रूप में राशि आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भुगतान किया गया है।

लाभार्थियों द्वारा कुर्सी तक निर्माण करने के बाद Geo tagged किया गया। Geo tagged के बाद दिनांक 08.03.2017 को 38 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त के रूप में प्रति लाभुक 100000.00 (एक लाख) की दर से मो0 3800000.00 रूपये आर.टी.जी.एस. के माध्यम से लाभार्थी के खाता में अन्तरण किया गया। पुनः दिनांक 29.07.2017 को 68 लाभार्थी को द्वितीय किश्त के रूप में मो0 100000.00 रूपये की दर से कुल मो0 6800000.00 रूपये का भुगतान आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया गया।

पुनः तीन लाभुकों को मो0 100000.00 रूपये की दर से 300000.00 रूपये आर.टी.जी.एस. के माध्यम से लाभुकों के खाता में भेजा गया।

इस प्रकार कुल 109 लाभुकों को द्वितीय किश्त के रूप में भुगतान किया गया। शेष दो लाभुकों को सबके लिए आवास मद में राशि नहीं रहने के साथ भुगतान नहीं हो पाया है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जानकारी दिया गया कि तृतीय किश्त भुगतान हेतु कुल 70 लाभाथियों का सत्यापन किया गया। राशि नहीं रहने के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है।

वर्ष 2016–17 के द्वितीय फेज में 439 लाभार्थी का MIS Entry किया गया तथा आधार से जोड़ा गया। 46 लाभार्थी को सत्यापन के दौरान सबके लिए आवास के नियमानुसार सही नहीं रहने के कारण प्रत्यर्पित किया गया। इसमें 373 लाभार्थियों को कार्यादेश दिया गया। 278 लाभार्थियों द्वारा नींव की खुदाई के पश्चात Geo tagged किया गया। तत्पश्चात कुल 278 लाभार्थियों को प्रथम किश्त के रूप में

मो0 50000.00 की दर से मो0 13900000.00 रूपये लाभार्थियों के खाता में आर.टी.जी.एस0 के माध्यम से अन्तरण किया गया।

लाभुकों द्वारा कुर्सी तल तक कार्य किया गया। जिसका सत्यापन नगर प्रबंधक द्वारा किया गया है। जिसमें 136 लाभुकों द्वारा कुर्सी तक कार्य पाया गया। जिसे Geo tagged किया गया। विभिन्न तिथियों में मो. 100000.00 की दर से कुल मो0 13600000.00 रूपये आर.टी.जी.एस. के माध्यम से लाभुकों के खाता में भेजा गया।

उक्त 136 लाभुकों में से दो लाभुकों द्वारा छत ढ़लाई कार्य किया गया। दो लाभार्थी का सत्यापन कर Geo tagged किया गया। तत्पश्चात दोनों लाभार्थी को अंतिम किस्त के रूप में मो0 50000.00 रूपये की दर से कुल मो0 100000.00 रूपये आर.टी.जी.एस. के माध्यम से लाभार्थी के खाता में राशि अन्तरण किया गया।

वर्ष 2017–18 के तृतीय फेज में 390 लाभार्थी की स्वीकृति प्राप्त हुई। 390 लाभार्थी को MIS entry कर आधार से जोड़ा गया। इसका अभिलेख खोलते हुए जमीन का सत्यापन किया गया। 305 लाभार्थी को एकरारनामाकर कार्यादेश दिया गया। इसमें से 206 लाभार्थी द्वारा नींव की खुदाई की गई। नगर प्रबंधक द्वारा सत्यापनकर Geo tagged किया गया। तत्पश्चात प्रति लाभार्थी मो0 50000.00 की दर से कुल मो0 10300000.00 रूपये आर.टी.जी.एस. के माध्यम से लाभार्थी के खाता में प्रथम किश्त के रूप में भेजा गया।

कुल 66 लाभार्थी द्वारा कुर्सी तल तक कार्य सम्पादन किया गया। जिसे नगर प्रबंधक द्वारा सत्यापन कर Geo tagged किया गया। तत्पश्चात 66 लाभार्थी को मो. 100000.00 की दर से कुल 6600000.00 रूपये आर.टी.जी.एस. के माध्यम से लाभार्थी के खाता में भेजा गया। नगर प्रबंधक को निदेश दिया गया कि शेष लाभार्थियों को सत्यापन कर कार्यपालक पदाधिकारी के पास समर्पित करें जिससे भुगतान किया जा सके। कनीय अभियंता को निदेश दिया गया कि स्वयं भी जाँच कर प्रतिवेदन कार्यपालक पदाधिकारी को देंगे। 66 लाभार्थी में से दो लाभार्थी द्वारा छत ढ़लाई किया गया। जिसे सत्यापन कर जियो टैंग कर मो0 50000.00 की दर से मो0 100000.00 रूपये आर.टी.जी.एस. के माध्यम से लाभार्थी के खाता में अंतिम किश्त के रूप में भेजा गया।

वर्ष 2017–18 के चतुर्थ फेज के रूप में कुल 124 लाभुकों का स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसमें सत्यापन कर 114 लाभार्थी को Mis entry कर आधार से जोड़ते हुए सभी लाभुकों का अलग–अलग अभिलेख संधारण किया गया है। इसमें से सत्यापन कर 53 लाभार्थी को पूर्व में कार्यादेश निर्गत किया गया। दिनांक 15.12.2018 को 32 लाभार्थी को कार्यादेश वितरण किया गया। इस प्रकार कुल 85 लाभार्थी को कार्यादेश दिया गया है।

(2) स्वच्छ भारत मिशन :–

कुल आवेदन 6440 प्राप्त हुआ। विभाग द्वारा डाटा PFMS में भेजा गया। जिसमें से 291 PFMS में Accept हुआ है। 6 आवेदन PFMS द्वारा Reject किया गया है। प्राप्त आवेदन में से 5544 Verified हुआ है। इसमें से 5540 लाभुकों को 7500.00 की दर से प्रथम किस्त RTGS के माध्यम से भुगतान किया गया है। 5540 लाभार्थी में से 4062 लाभार्थी को द्वितीय किश्त मो. 4500.00 रूपये की दर से RTGS के माध्यम लाभुकों को भुगतान हेतु ICICI बैंक भेजा गया है।

200 (दो सौ) लाभार्थी को द्वितीय किश्त हेतु ऑनलाईन किया गया है जो पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है।

(3) DAY-NULM :–

घटक – (SM&ID) – वर्ष 2018–19 में 60 स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसमें 65 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है।

दो ALF को R.F के रूप में मो0 50000.00 की दर से कुल मो. 100000.00 रूपये RTGS के माध्यम से ALF के खाता में भेजा गया। स्वयं सहायता समूह को चक्रचलित राशि का लक्ष्य 60 था जिसमें से 10 स्वयं सहायता समूहों को मो0 10000.00 की दर से चक्रचालित राशि के रूप में मो0 100000.00 रूपये RTGS के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के खाता में अन्तरण किया गया। 60 स्वयं सहायता समूहों में से 32 स्वयं सहायता समूहों को चक्रचलित राशि देने हेतु ग्रेडिंग किया गया है। चक्रचलित राशि मद में आवंटन नहीं रहने के कारण चक्रचलित राशि स्वयं सहायता समूहों को नहीं दिया गया है।

घटक – SUSV – कुल 1161 भेण्डर को चिन्हित किया गया है। इसमें से शहरी विक्रय समिति द्वारा 492 भेण्डर की स्वीकृति दी गई। 492 में से 254 भेण्डर को पहचान पत्र दिया गया है। इसमें 110 भेण्डर का संबंधित बैंकों में खाता भी खुलवाया गया है।

घटक – SEP – वर्ष 2018–19 का लक्ष्य 78 दिया गया। जिसमें से 29 लाभुकों को स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बैंक द्वारा ऋण दिया गया है। विभिन्न बैंकों को स्वरोजगार अन्तर्गत 256 आवेदन भेजा गया है, जो लम्बित है। बैंक द्वारा स्वीकृत कर ऋण नहीं दिया गया है।

घटक – आश्रय स्थल – नगर परिषद, सुपौल में एक आश्रय स्थल बनाया गया है। जो वर्त्तमान में कार्यरत है।

घटक – कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन – बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा तीन एजेंन्सी का चयन कर नगर परिषद हेतु स्वीकृत किया गया है। इसमें एक जनहित संस्कृति कला केन्द्र द्वारा शिलाई कढ़ाई हेतु चार बैच को कार्यादेश दिया गया है। उनके द्वारा कुल 80 बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया गया।

द्वितीय एजेंन्सी बी.बी.सी. कॉलेज, सुपौल द्वारा एक बैच को सुरक्षा गार्ड का प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें कुल 30 बेरोजगार युवक युवतियां थी।

तृतीय एजेंन्सी इन्फोडोस्की प्राईवेट लिमिटेड द्वारा Non-voice BPO का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें कुल 60 बेरोजगार युवक युवतियों को 20–20 का बैच बनाकर प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें से 3 बैच को प्रशिक्षण दिया गया है। शेष 3 बैच को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तीनों एजेन्सी को कुल 8 बैच का प्रथम किश्त का भुगतान किया जा चुका है।

(4) 7 निश्चय अन्तर्गत नाली–गली योजना :–

वर्ष 2017–18 में कुल 28 वार्ड में एक–एक योजना कुल 28 योजनाऐं ली गई। इसमें 26 योजना पूर्ण किया जा चुका है। दो योजनाऐं लम्बित है। इसमें एक योजना जिलाधिकारी, सुपौल के निदेश पर स्थगित किया गया है तथा एक योजना भूमि विवाद के कारण लम्बित है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि तीन वार्ड में गली–नाली योजना पूरी तरह से saturate हो चुका है।

(5) 7 निश्चय अन्तर्गत नल–जल योजना :–

बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा 16 वार्ड में कार्य किया जा रहा है। जिसमें दो ओभर हेड टेंक बनाया गया है। दोनों ओभर हेड टेंक का जल testing का कार्य चल रहा है। कुल 2782 घरों में कनेक्शन किया गया है।

नगर परिषद, सुपौल द्वारा कुल 12 वार्ड में नल–जल का कार्य कराया जाना है। जिसमें 10 वार्ड में बोरिंग किया गया है तथा चार वार्ड में 2205 घरों में कनेक्शन किया गया है।

(6) सामान्य रोकड़ बही :–

पी.एल. खाता का सामान्य रोकड़बही का अवलोकन किया। जिसमें दिनांक 30.11.2018 तक का कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सत्यापन किया गया है। जिसमें अन्तशेष मो0 159068120.00 रूपये दर्ज है।

कार्यपालक पदाधिकारी सुपौल को निदेश दिया गया की प्रत्येक माह बैंक से Reconciliation कराकर सामान्य रोकड़ बही अद्यतन सत्यापित कर उसकी अन्तिम पृष्ट की छायाप्रति प्रत्येक माह विभाग में जमा कराया जाय।

21.12.18

विशेष सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 6607 **पटना, दिनांक–** 21/12/18

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

21.12.18

विशेष सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक– 6607 **पटना, दिनांक–** 21/12/18

प्रतिलिपि– कार्यपालक पदाधिकारी सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21.12

विशेष सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग